



सत्यमेव जयते


INDIA NON JUDICIAL



Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No.	IN-UP00109004727519L
Certificate Issued Date	29-Jul-2013 05:10 PM
Account Reference	SHCIL (FI) upshcil01/ LUCKNOW/UP-LKN
Unique Doc. Reference	SUBIN-UPUPSHCIL0100111106738164L
Purchased by	ANSAL PROPERTIES AND INFRASTRUCTURE LIMITED
Description of Document	Article 35 Lease
Property Description	LAND SITUATED AT VILL HARIHARPUR HASANPUR KHEWALI M N GHUSWAL DEVAMAU N MAHJIGAWAN YUSUF NAGAR LKO
Consideration Price (Rs.)	26,07,50,043 (Twenty Six Crore Seven Lakh Fifty Thousand And Forty Three only)
First Party	LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY
Second Party	ANSAL PROPERTIES AND INFRASTRUCTURE LIMITED
Stamp Duty Paid By	ANSAL PROPERTIES AND INFRASTRUCTURE LIMITED
Stamp Duty Amount (Rs.)	2,33,75,000 (Two Crore Thirty-Three Lakh Seventy Five Thousand only)



Please write or type below this line


 (Registrar, Lucknow)
 लखनऊ विकास प्राधिकरण




0000000197

Statutory Aword:

- The authenticity of this stamp certificate should be verified at www.e-stampsonline.in. Any discrepancy in the details of this Certificate should be reported to the web site administrator.
- The use of this site, the e-stamp certificate and the users of the e-stamp certificate.
- In case of any discrepancy please inform the Computer Authority.

1950



Digitized by Google

मालिक्ट	—	33,38,80,000 /
स्टाम	.	2,38,75,000 /—
परगना	—	बिजनौर

पट्टा- विलेख

यह पट्टा सन् 2013 के जुलाई मह के 30^{वाँ} दिने श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश (जिनको यहाँ आगे चलकर 'पट्टादाता' कहा गया है) प्रथम नक्ष।

तथा

मेसर्स अंजल प्रॉपर्टीज एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर लि० जो कम्पनी एक्ट, 1958 के अधीन एक पंजीकृत कम्पनी है एवं जिसका पंजीकृत कार्यालय : 115, अंजल भवन 18, कस्तूरबा गौधी मार्ग, नई दिल्ली - 110001 के जरिये अधिकृत हस्ताक्षरी श्री सुरील कुमार सक्सेना पुत्र श्री शिवगोपाल सक्सेना निवासी फ्लैट प्लेयर, वर्डोएमोसीटोएड बिल्डिंग, 13, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ (जिनको आगे चलकर 'पट्टेदार' कहा गया है) द्वितीय पक्ष के मध्य लिखा गया है :


1. चूंकि पट्टेदार एक अधास निर्माण कम्पनी है जिसका उद्देश्य धर्म, जाति, धर्म, भाषा, सम्प्रदाय आदि का भेद-भाव किये बिना सभी के लिये अधास निर्माण कर विक्रय किये जाने का है, जिसके निर्माण हेतु भूमि की व्यवस्था करना है

और चूंकि हाईटेक टाउनशिप नीति विश्वक शासनादेश 6087/9-आ-1-2003-34वे०/03 दिनांक 22.11.2003 द्वारा प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में निजी पूंजी निवेश के माध्यम से आवस्यीय योजनाओं के लिए भूमि अर्जन एवं विकास हेतु नीति (जिसे एतदपरचात् उक्त नीति कहा गया है) निर्गत की गयी है।


और चूंकि पट्टादाता ने पट्टेदार के अनुरोध पर उक्त नीति के अनुरोध में इस विलेख की अनुरूची में वर्णित ग्राम-देवानक परगना-बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में स्थित 2.647 (दो दशमलव छः चार सात) हेक्टेयर व ग्राम-धुसुफनगर बगियामक परगना-बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में स्थित 13.908 (तेरह दशमलव नौ शून्य छः) हेक्टेयर व ग्राम-नेजामपुर मझिगंवा परगना-बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में स्थित 8.218 (नौ दशमलव दो एक आठ) हेक्टेयर व ग्राम-मुजफ्फरनगर मुसहल परगना-बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में स्थित 27.805 (सत्ताईस दशमलव आठ शून्य पांच) हेक्टेयर व ग्राम-हरानपुर खेयली परगना-बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में स्थित 9.350 (नौ दशमलव तीन पांच शून्य) हेक्टेयर व ग्राम-हरिहरपुर परगना-बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में स्थित 5.479 (पांच दशमलव चार सात नौ) हेक्टेयर इस प्रकार कुल मिलाकर 68.405 (अड़सठ दशमलव चार शून्य पांच) हेक्टेयर, ग्राम समाज की भूमि को, राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-1345/एक-1/2010-5-1(48)/2006-163 दिनांक 12.07.2010, 1346/एक-1/2010-5-1(48)/2006-163 दिनांक 12.07.2010, 1340/एक-1/2010-5-1(48)/2006-163 दिनांक 12.07.2010, 1347/एक-1/2010-5-1(48)/2006-163 दिनांक 12.07.2010, 1344/एक-1/2010-5-1(48)/2006-163 दिनांक 12.07.2010 एवं 1343/एक-1/2010-5-1(48)/2006-163 दिनांक 12.07.2010 के अधीन उक्त भूमि को उत्तर प्रदेश जमींदारी दिनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1951) की धारा-117 की उपधारा (ह) के अन्तर्गत, पुनर्धीत कर लिया गया है और जो सभी प्रकार के मारों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित हो गयी है।


श्री 10 दिवशी
अधिव
लखनऊ विकास अधिकारी

For State Proprietor & Registrar, Bihar


Registrar, Bihar

100



उक्त शासनादेश संख्या-प्रःसू० 474/एक-1-2008-5-1(48)/2008-79 दिनांक 18.12.2008 द्वारा पट्टेदार के नाम के आगे अभिव्यक्त अधिकारों निर्बंधनों एवं विभिन्न प्रसंविदाओं तथा अनुबंधों के अधीन उक्त नीति के अनुसार हाईटेक टाउनशिप के विकास के प्रयोजन (जिसे एतदपरचात "निर्धारित प्रयोजना" कहा गया है) से पट्टेदार को हस्तांतरित करने के लिये पट्टेदाता सहमत हुये हैं।

3. अतः उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथासंशोधित गवर्नमेंट आन्डर एक्ट, 1895 (सन् 1895 ई० का एक्ट संख्या-15) के अधीन निष्पादित यह विलेख साक्षी है कि नजरना रू०-26,02,37,002/- (छब्बिस करोड़ दो लाख सैंतिस हजार दो रूपये) मात्र व गालगुजारी का 150 गुना रू०-5,13,041/- (पांच लाख तेरह हजार इकतालीस रूपये) मात्र की धनराशि जो भारतीय स्टेट बैंक लखनऊ की मुख्य शाखा में क्रमशः चालन सं०-जी०-100085, जी०-100057, जी०-100058, जी०-100066, जी०-090347, जी०-100060, जी०-100052, जी०-100067, जी०-100059, जी०-100064, जी०-100056, जी०-100063, जी०-100055 क्रमशः दिनांक 11.10.10, 11.10.10, 11.10.10, 11.10.10, 22.09.12, 11.10.10, 11.10.10, 11.10.10, 11.10.10, 11.10.10, 11.10.10, 11.10.10 के माध्यम से विजराफर्या/पट्टेदार द्वारा जमा कर दिया गया है, मात्र के प्रीमियम (जिसकी प्रति पट्टेदाता एतद्वारा स्वीकार करता है) तथा आगे आरक्षित पार्षिक किराया रू०-5,13,041/- (पांच लाख तेरह हजार इकतालीस रूपये) मात्र के प्रतिफल स्वरूप और पट्टेदार द्वारा की गयी प्रसंविदाओं को ध्यान में रखकर पट्टेदाता एतद्वारा वह सब भूलखुल, जिनका निवरण इसकी अनुसूची में न दिया है और जो स्वीकारण के लिए इस विलेख से संलग्न रेखाचित्र में लाल रंग से रंग दिया गया है (जिसे आगे उक्त "भूमि" कहा जायेगा), पट्टेदार को सन् 2013 ई० के जुलाई माह के 23⁰⁰वें दिन से 30 (तीस) वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर निम्न शर्तों पर हस्तांतरित करते हैं : इस अधिपत्य के उपलक्ष्य में उक्त अवधि के लिये पट्टेदार समस्त कर्तव्यों को छोड़कर रू०-5,13,041/- (पांच लाख तेरह हजार इकतालीस रूपये) मात्र का वार्षिक किराया प्रत्येक वर्ष के अंग्रेजी माह जुलाई के पहले सप्ताह में कलेक्टर-लखनऊ के कार्यालय में या पट्टेदाता द्वारा समय-समय पर निर्यत स्थान पर या स्थानों पर भुगतान करेगा।

और पट्टेदाता से पट्टेदार निम्न प्रसंविदा करता है :-

1. यह कि पट्टेदार द्वारा प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल निर्धारित प्रयोजना के लिए ही किया जायेगा, जिसके लिए भूमि दी जा रही है।
2. यह कि पट्टेदार द्वारा निर्धारित प्रयोजना से भिन्न प्रयोजना हेतु भूमि का उपयोग किये जाने पर भूमि का पट्टा शासन/प्राधिकरण द्वारा निरस्त कर भूमि को राज्य सरकार में निहित करने का अधिकार पट्टेदाता को होगा।
3. यह कि पट्टेदार को प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता न होने पर वह उसे शारान/प्राधिकरण को वापस कर देगा।
4. यह कि पट्टेदार द्वारा उक्त भूमि का उपयोग निर्धारित प्रयोजना से भिन्न प्रयोजना हेतु किये जाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा उक्त भूमि का लब्धा ले लिये जाने अथवा पट्टेदार को भूमि की आवश्यकता न होने पर उसे राज्य सरकार को समर्पित किये जाने की स्थिति में पट्टेदार को उक्त भूमि पर निर्मित किसी भवन अथवा अन्य निर्माण की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होगा।
5. यह कि पट्टेदार को पट्टे की भूमि दिना कबू के राष्ट्रीयकृत बैंक, भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने हेतु उनके पक्ष में बन्धक रखने का अधिकार होगा। शर्त यह होगी कि पट्टेदार द्वारा शासन को बाजार दर पर पट्टे की भूमि का मूल्य अदा कर दिया गया है।
6. यह कि उक्त भूमि का उपयोग 03 (तीन) वर्ष में निर्धारित प्रयोजना हेतु न किये जाने की स्थिति में पट्टेदाता द्वारा पट्टेदार को सुनवाई का अवसर देकर पट्टा निरस्ता कर दिया जायेगा।
7. प्रश्नगत भूमि 30 (तीस) वर्षों के लिए पट्टे पर दी जायेगी। पट्टेदार द्वारा पट्टे की शर्त का पालन किये जाने की तथा न पट्टेदार के अनुरोध पर प्रत्येक 30 वर्ष के बाद 30-30 वर्ष के पट्टे का नवीनीकरण किया जा सकेगा लेकिन पट्टे की शोकेत अवधि 90 वर्ष से ज्यादा नहीं होगी।

(सिद्ध) (सिद्ध)
सचिव
लखनऊ विधान प्रधिकरण

सचिव, लखनऊ विधान प्रधिकरण

(सिद्ध)

सचिव, लखनऊ विधान प्रधिकरण





यह कि प्रतिबन्ध है कि ऊपर जो कुछ अंकित है उस के अतिरिक्त पट्टादाता को यह अधिकार होगा कि वह उस विलेख के अधीन देय समस्त धनराशि प्रमुख सचिव/सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश शासन के प्रमाणपत्र पर जो अन्तिम निश्चायक और पट्टेदार पर बाध्यकारी होगा, पट्टेदार से भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल कर लें।

यह भी प्रतिबन्ध होगा कि यदि हस्तान्तरित उक्त भूमि की पट्टादाता को किसी भी समय अपने कार्य के लिए आवश्यकता होगी तो उसको यह अधिकार होगा कि वह पट्टेदार को उक्त भूमि पर उस समय खड़े किसी भवन को हटाने की एक माह की नोटिस दे और यह भी कि उक्त नोटिस के पट्टेदार द्वारा प्राप्त होने की तिथि के पश्चात उक्त अवधि के समाप्त होने पर दो माह के भीतर उक्त भूमि पर अपना आधिपत्य प्राप्त कर ले किन्तु शर्त यह है कि यदि पट्टादाता उक्त भूमि पर पट्टेदार द्वारा बनाये गये किसी भवन को हटाने का इच्छा करे तो पट्टेदार को उस भवन के बदले में ऐसी धनराशि का भुगतान कर दिया जायेगा जो राज्य सरकार के आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा अवधारित की जाये।

और पट्टादाता, पट्टेदार से प्रत्याशित करता है कि यदि पट्टेदार ने इस विलेख की किसी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है तो पट्टादाता पट्टेदार की प्रार्थना पर और उसके व्यय से इस पट्टे की उक्त अवधि के समाप्त होने पर और उसके पश्चात रागत-समय पर प्रत्येक ऐसी अवधि के समाप्त होने पर जो स्वीकार की जाये, पट्टेदार के नाम उक्त भूमि का गदा गद्द नवीनीकरण के रूप में 30 (तीस) वर्षों की अवधि के लिये निष्पादित करेगा। परन्तु यह प्रतिबन्ध सदा ही रहेगा कि इस प्रकार नवीकृत अट्टियाँ इस पट्टे की मूल अवधि सहित कुल मिलाकर 90 (नब्बे) वर्ष से अधिक न हों और पट्टादाता कोई ऐसे नवीनीकरण स्वीकार करने के लिये बन्ध नहीं होगा, सिवाय इसके कि वह ऐसी किराये की दर पर हो जो उक्त भूमि के सम्बन्ध में उस समय दिया जा रहा है अथवा यदि वह पसन्द करे तो ऐसी बढाई हुई दर पर हो जो उस किराये के 50 (पचास) प्रतिशत से अधिक न हो जो कि नवीनीकरण के ठीक पहले देय था और सिवाय उस किराये की धनराशि जो तदनुसार निर्धारित की जाये और उस अवधि के जो स्वीकार की जाये उक्त भूमि के उक्त नवीकृत पट्टे में इस विलेख को केवल उन्हीं प्रसिद्धियों, उपबन्धों एवं प्रतिबन्धों का सनावेश होगा जो उस समय लागू होंगे।

किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि पट्टेदार उपर्युक्त अवधि में ऐसे सब कर, दर तथा अन्य परिष्वयों का भुगतान करेगा जो हस्तान्तरित उक्त भूमि के संबंध में पट्टादाता अथवा पट्टेदार द्वारा इस समय देय है अथवा भविष्य में देय होगा।

और इस विलेख के दोनों पक्ष अग्रोपर करार करते हैं कि :-

- (क) उक्त भूमि को पट्टे पर देने हेतु पट्टा विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन पर होने वाले व्यय का वहन पट्टेदार द्वारा किया जायेगा।
- (ख) उक्त भूमि के हस्तान्तरण एवं निष्पादित होने वाले पट्टा विलेख की शर्तों के संबंध में यदि कोई मतभेद/विवाद उत्पन्न होगा तो उस पर प्रमुख सचिव/सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम एवं नायब होगा।
- (ग) उक्त भूमि पर जो उसके नीचे दिये गये खान एवं खनिजों पर पट्टादाता का अधिकार रहेगा।
- (घ) पट्टा निष्पादन के पश्चात भूमि का कब्जा पट्टेदार को प्रदान किया जायेगा।


4. भूमि का विवरण निम्नवत् है:-

क्रम सं०	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	खसरा / गांदा सं०	क्षेत्रफल हेक्टेयर	नियंत्रण/प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7	B
1	लखनऊ	लखनऊ	विजनीर	देवागऊ	7	0.018	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के नियंत्रण पर पट्टे हेतु लखनऊ विकास

(10 के) सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण


Secretary, Properties & Acquisition Dept.

[Signature]
Secretary, Properties & Acquisition Dept.




							भांडिकरण द्वारा एंटीडक टोलनिशिया हेतु।
2					11	0.464	
3					17	0.403	
4					21	0.018	
5					25	0.014	
6					40	0.020	
7					45	0.069	
8					49	0.010	
9					56	0.009	
10					61	0.015	
11					64	0.006	
12					68	0.012	
13					69	0.032	
14					71	0.013	
15					75	0.026	
16					76	0.011	
17					79	0.011	
18					83	0.010	
19					91	0.057	
20					91	0.057	
21					93	0.017	
22					105	0.183	
23					117	0.087	
24					118	0.013	
25					122	0.187	
26					247246	0.885	
				कुल योग	25 गाटा	2.647	
1	लखनऊ	लखनऊ	बिजनौर	सुसुफानगर उर्फ दरियाबाद	40	2.296	गावास एवं कच्ची बिजली के निरंतर पर एडमिटर द्वारा लखनऊ विद्यालय भांडिकरण द्वारा एंटीडक टोलनिशिया हेतु।
2					75	0.059	उपरोक्तानुसार
3					79	0.008	उपरोक्तानुसार
4					88	0.030	उपरोक्तानुसार
5					90	0.011	उपरोक्तानुसार
6					93	0.005	उपरोक्तानुसार


 (एड) श्री विधायी
 सचिव
 लखनऊ विद्यालय प्राधिकरण


 (एड) श्री विधायी


लखनऊ, दि. 10/05/2024




7			98	0.038	उपरोक्त नुसार
8			101	0.266	उपरोक्त नुसार
9			108	0.033	उपरोक्त नुसार
10			116	0.038	उपरोक्त नुसार
11			121	0.126	उपरोक्त नुसार
12			122	0.014	उपरोक्त नुसार
13			128	0.163	उपरोक्त नुसार
14			129	0.017	उपरोक्त नुसार
15			135	0.040	उपरोक्त नुसार
16			135	0.063	उपरोक्त नुसार
17			139	0.014	उपरोक्त नुसार
18			141	0.041	उपरोक्त नुसार
19			151	0.512	उपरोक्त नुसार
20			156	0.076	उपरोक्त नुसार
21			158	0.019	उपरोक्त नुसार
22			159	0.218	उपरोक्त नुसार
23			162	0.126	उपरोक्त नुसार
24			163	0.076	उपरोक्त नुसार
25			164	0.039	उपरोक्त नुसार
26			167	0.031	उपरोक्त नुसार
27			171	0.190	उपरोक्त नुसार
28			178	0.008	उपरोक्त नुसार
29			182	0.099	उपरोक्त नुसार
30			189	0.126	उपरोक्त नुसार
31			192	0.023	उपरोक्त नुसार
32			215	0.013	उपरोक्त नुसार
33			218	0.231	उपरोक्त नुसार
34			221	0.027	उपरोक्त नुसार
35			224	0.155	उपरोक्त नुसार
37			241	0.075	उपरोक्त नुसार
38			242	0.215	उपरोक्त नुसार
39			245	0.066	उपरोक्त नुसार
40			244	0.139	उपरोक्त नुसार
41			245	0.063	उपरोक्त नुसार
42			252	0.051	उपरोक्त नुसार


 The Director
 Office
 State of Karnataka

Director, Projects & Infrastructure


 Director, Projects & Infrastructure


10



43			254	0.152	उपरोक्तानुसार
44			258 च	1.468	उपरोक्तानुसार
45			261	0.051	उपरोक्तानुसार
46			276	0.025	उपरोक्तानुसार
47			282	0.028	उपरोक्तानुसार
48			286	0.006	उपरोक्तानुसार
49			286	0.013	उपरोक्तानुसार
50			289	0.033	उपरोक्तानुसार
51			297	0.304	उपरोक्तानुसार
52			293	0.114	उपरोक्तानुसार
53			300	0.076	उपरोक्तानुसार
54			303	0.309	उपरोक्तानुसार
55			309	0.253	उपरोक्तानुसार
56			318	0.366	उपरोक्तानुसार
57			325	0.025	उपरोक्तानुसार
58			329	0.940	उपरोक्तानुसार
59			335	0.019	उपरोक्तानुसार
60			337	0.017	उपरोक्तानुसार
61			342	0.190	उपरोक्तानुसार
62			347	0.051	उपरोक्तानुसार
63			350	1.000	
64			361	0.266	उपरोक्तानुसार
65			364	0.037	उपरोक्तानुसार
66			368 च	0.053	उपरोक्तानुसार
67			368 च	0.035	उपरोक्तानुसार
68			367	0.126	उपरोक्तानुसार
69			369	0.040	उपरोक्तानुसार
70			370	0.018	उपरोक्तानुसार
71			372	0.405	उपरोक्तानुसार
72			376	0.536	उपरोक्तानुसार
73			374	0.212	उपरोक्तानुसार
74			379	0.062	उपरोक्तानुसार
75			382	0.784	उपरोक्तानुसार
76			185/307	0.005	उपरोक्तानुसार
		कुल योग	76 गांवा	13.906	


 2022/23

उपरोक्तानुसार



 Authorised Signatory




1	लखनऊ	लखनऊ	विज्ञानीर	निजामपुर गझियाबाद	3	0.065	उपरोक्त एवं शहरी निर्माण विभाग के निर्देश पर रखते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा शहरी विकास शिप के तहत
2					7	0.017	उपरोक्तानुसार
3					11	0.024	उपरोक्तानुसार
4					14	0.079	उपरोक्तानुसार
5					20	0.102	उपरोक्तानुसार
6					25	0.017	उपरोक्तानुसार
7					28	0.012	उपरोक्तानुसार
8					32	0.022	उपरोक्तानुसार
9					34	0.051	उपरोक्तानुसार
10					35	0.089	उपरोक्तानुसार
11					36	0.266	उपरोक्तानुसार
12					40	0.029	उपरोक्तानुसार
13					44	0.022	उपरोक्तानुसार
14					45	0.047	उपरोक्तानुसार
15					46	0.017	उपरोक्तानुसार
16					53	0.017	उपरोक्तानुसार
17					56	0.172	उपरोक्तानुसार
18					64	0.177	उपरोक्तानुसार
19					65	0.082	उपरोक्तानुसार
20					69	0.073	उपरोक्तानुसार
21					77	0.023	उपरोक्तानुसार
22					79	0.008	उपरोक्तानुसार
23					84	0.658	उपरोक्तानुसार
24					81	0.022	उपरोक्तानुसार
25					92	0.025	उपरोक्तानुसार
26					93	0.028	उपरोक्तानुसार
27					86	0.013	उपरोक्तानुसार
28					81	0.079	उपरोक्तानुसार
29					101	0.014	उपरोक्तानुसार
30					103	0.253	उपरोक्तानुसार
31					106	0.027	उपरोक्तानुसार
32					108	0.013	उपरोक्तानुसार
33					110	0.936	उपरोक्तानुसार


 (एफ. ई. सी. लिफ्टी)
 सचिव
 लखनऊ विकास प्राधिकरण

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ



 सचिव

100




34				112	0.174	उपरोक्तानुसार
35				117	0.023	उपरोक्तानुसार
36				118	0.923	उपरोक्तानुसार
37				120	0.253	उपरोक्तानुसार
38				123 फी	0.588	उपरोक्तानुसार
39				132	0.089	उपरोक्तानुसार
40				135	0.023	उपरोक्तानुसार
41				148	0.190	उपरोक्तानुसार
42				142	0.008	उपरोक्तानुसार
43				146	0.011	उपरोक्तानुसार
44				150 फी	0.076	उपरोक्तानुसार
45				150 फी	0.057	उपरोक्तानुसार
46				157	0.042	उपरोक्तानुसार
47				160	0.020	उपरोक्तानुसार
48				166	0.029	उपरोक्तानुसार
49				169	0.011	उपरोक्तानुसार
50				173	0.040	उपरोक्तानुसार
51				176	0.304	उपरोक्तानुसार
52				183	0.392	उपरोक्तानुसार
53				184	1.049	उपरोक्तानुसार
54				188	0.023	उपरोक्तानुसार
55				191	0.017	उपरोक्तानुसार
56				193	0.102	उपरोक्तानुसार
57				202	0.043	उपरोक्तानुसार
58				223	0.354	उपरोक्तानुसार
59				231	0.010	उपरोक्तानुसार
60				235	0.095	उपरोक्तानुसार
61				242	0.019	उपरोक्तानुसार
62				255	0.102	उपरोक्तानुसार
63				262	0.063	उपरोक्तानुसार
64				264	0.114	उपरोक्तानुसार
65				271	0.072	उपरोक्तानुसार
66				274	0.022	उपरोक्तानुसार
67				275	0.076	उपरोक्तानुसार
68				278	0.042	उपरोक्तानुसार

10




69				292	0.053	उपरोक्तानुसार	
70				290	0.063	उपरोक्तानुसार	
71				301	0.020	उपरोक्तानुसार	
72				308	0.081	उपरोक्तानुसार	
73				213/496	0.016	उपरोक्तानुसार	
1	लखनऊ	लखनऊ	दिल्लीनौर	कूल मीन मुजफ्फर नगर मुसतग	73 गाटा 5	9.218 0.002	आवाज एवं शांति मिशन विभाग के निवेदन पर स्वयंसेवक द्वारा वास्तविक विकास प्रक्रियाएं द्वारा शारीरिक जांच-पड़ताल हेतु।
2					9	3.642	उपरोक्तानुसार
3					12 स	0.114	उपरोक्तानुसार
4					14	0.190	उपरोक्तानुसार
6					16	0.506	उपरोक्तानुसार
6					25	0.023	उपरोक्तानुसार
7					29	0.025	उपरोक्तानुसार
8					42	0.012	उपरोक्तानुसार
9					43	0.036	उपरोक्तानुसार
10					47	0.036	उपरोक्तानुसार
11					54 स	0.074	उपरोक्तानुसार
12					64 स	0.006	उपरोक्तानुसार
13					59 स	0.696	उपरोक्तानुसार
14					59	0.822	उपरोक्तानुसार
15					60	0.645	उपरोक्तानुसार
16					67	0.008	उपरोक्तानुसार
17					72	0.003	उपरोक्तानुसार
18					77	0.126	उपरोक्तानुसार
19					82	0.051	उपरोक्तानुसार
20					88	0.063	उपरोक्तानुसार
21					93	0.102	उपरोक्तानुसार
22					110	0.036	उपरोक्तानुसार
23					111	0.079	उपरोक्तानुसार
24					119	0.021	उपरोक्तानुसार
25					122	0.011	उपरोक्तानुसार
26					128	0.077	उपरोक्तानुसार
27					129	0.036	उपरोक्तानुसार



 (१० पीक सिविली)
 सचिव
 लखनऊ विभाग प्राधिकरण



 सचिव, लखनऊ

100



28				145	0.042	उपरोक्त गुंथार
29				147	0.051	उपरोक्त गुंथार
30				153	0.143	उपरोक्त गुंथार
31				153	0.017	उपरोक्त गुंथार
32				162	0.052	उपरोक्त गुंथार
33				163	0.025	उपरोक्त गुंथार
34				167	0.029	उपरोक्त गुंथार
35				168	0.031	उपरोक्त गुंथार
36				174	0.008	उपरोक्त गुंथार
37				179	0.164	उपरोक्त गुंथार
38				182 स	0.063	उपरोक्त गुंथार
39				187	0.164	उपरोक्त गुंथार
40				181	0.033	उपरोक्त गुंथार
41				196	0.017	उपरोक्त गुंथार
42				201	0.010	उपरोक्त गुंथार
43				205	0.063	उपरोक्त गुंथार
44				207	0.079	उपरोक्त गुंथार
45				209	0.022	उपरोक्त गुंथार
46				211	0.038	उपरोक्त गुंथार
47				218 स	0.607	उपरोक्त गुंथार
48				230	0.607	उपरोक्त गुंथार
49				231 स	0.253	उपरोक्त गुंथार
50				241	0.281	उपरोक्त गुंथार
51				243	0.032	उपरोक्त गुंथार
52				248	0.022	उपरोक्त गुंथार
53				254	0.077	उपरोक्त गुंथार
54				253	0.004	उपरोक्त गुंथार
55				270	0.059	उपरोक्त गुंथार
56				272	0.031	उपरोक्त गुंथार
57				279	0.159	उपरोक्त गुंथार
58				277	0.026	उपरोक्त गुंथार
59				279	0.076	उपरोक्त गुंथार
60				288	0.058	उपरोक्त गुंथार
61				280	0.063	उपरोक्त गुंथार
62				300	1.085	उपरोक्त गुंथार


 (Name of the official)
 (Designation of the official)
 (Address of the official)


Sri Sai Infracon & Infrastructure Ltd

 Authorized Signatory

100




63			308 स	1.426	उपरोक्तानुसार
64			310 स	0.964	उपरोक्तानुसार
65			310 रा	0.200	उपरोक्तानुसार
66			319	0.002	उपरोक्तानुसार
67			325	0.014	उपरोक्तानुसार
68			324	0.078	उपरोक्तानुसार
69			337	0.027	उपरोक्तानुसार
70			340	0.006	उपरोक्तानुसार
71			341	0.023	उपरोक्तानुसार
72			343	0.012	उपरोक्तानुसार
73			340	0.006	उपरोक्तानुसार
74			354	0.004	उपरोक्तानुसार
75			368 स	0.579	उपरोक्तानुसार
76			366	0.038	उपरोक्तानुसार
77			368	0.025	उपरोक्तानुसार
78			371	0.016	उपरोक्तानुसार
79			382	0.012	उपरोक्तानुसार
80			384	0.006	उपरोक्तानुसार
81			388	0.042	उपरोक्तानुसार
82			395	0.010	उपरोक्तानुसार
83			416 स	2.339	उपरोक्तानुसार
84			417	4.552	उपरोक्तानुसार
85			444 रा	0.022	उपरोक्तानुसार
86			444 स	0.029	उपरोक्तानुसार
87			448	0.016	उपरोक्तानुसार
88			448	0.010	उपरोक्तानुसार
89			461	0.013	उपरोक्तानुसार
90			453	0.020	उपरोक्तानुसार
91			466	0.582	उपरोक्तानुसार
92			464	0.016	उपरोक्तानुसार
93			467	0.025	उपरोक्तानुसार
94			477	0.013	उपरोक्तानुसार
95			470	0.019	उपरोक्तानुसार
96			479	0.013	उपरोक्तानुसार
97			432	0.013	उपरोक्तानुसार


 (रिजिस्ट्रार सिविल)
 सचिव
 लखनऊ विकास प्राधिकरण


10/05/2023

 लखनऊ विकास प्राधिकरण

100



98					481	0.033	उपरोक्त नुसार
99					490	0.023	उपरोक्त नुसार
100					492	0.020	उपरोक्त नुसार
101					499	0.347	उपरोक्त नुसार
102					527	0.033	उपरोक्त नुसार
103					541	0.051	उपरोक्त नुसार
104					517	0.018	उपरोक्त नुसार
105					516	0.018	उपरोक्त नुसार
106					523	0.017	उपरोक्त नुसार
107					527	0.035	उपरोक्त नुसार
108					523	0.036	उपरोक्त नुसार
109					523	0.027	उपरोक्त नुसार
110					540	0.004	उपरोक्त नुसार
111					541	0.026	उपरोक्त नुसार
112					646	0.916	उपरोक्त नुसार
113					146	0.076	उपरोक्त नुसार
114					551	0.010	उपरोक्त नुसार
115					554	0.013	उपरोक्त नुसार
116					557	0.038	उपरोक्त नुसार
117					559	0.430	उपरोक्त नुसार
118					561	0.092	उपरोक्त नुसार
119					562	0.089	उपरोक्त नुसार
120					564 स	0.114	उपरोक्त नुसार
121					532	0.063	उपरोक्त नुसार
122					562 स	0.063	उपरोक्त नुसार
123					584 स	0.253	उपरोक्त नुसार
124					583	0.104	उपरोक्त नुसार
125					590	0.040	उपरोक्त नुसार
126					597	0.025	उपरोक्त नुसार
127					652	1.417	उपरोक्त नुसार
128					656	0.304	उपरोक्त नुसार
129					602/001	0.006	उपरोक्त नुसार
				कुल योग	129 गाटा	27.805	
1	लखनऊ	लखनऊ	बिजनौर	इसनपुर खेपड़ी	18	0.020	आवास एवं सड़की निर्माण विभाग के निवेदन पर उत्तर पूर्व लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत किए गए शिप


 (10/11/2024) तिथि
 सचिव
 लखनऊ विकास प्राधिकरण


10/11/2024

 Authorized Signatory




					श्रेणी
2				58 नौ	0.050 उपरोक्तानुसार
3				60	0.035 उपरोक्तानुसार
4				62	0.925 उपरोक्तानुसार
5				67	0.316 उपरोक्तानुसार
6				88	0.443 उपरोक्तानुसार
7				69	0.139 उपरोक्तानुसार
8				51	0.392 उपरोक्तानुसार
9				62	0.038 उपरोक्तानुसार
10				83	0.557 उपरोक्तानुसार
11				88	0.253 उपरोक्तानुसार
12				100	0.114 उपरोक्तानुसार
13				102	0.032 उपरोक्तानुसार
14				111	0.052 उपरोक्तानुसार
15				118	0.032 उपरोक्तानुसार
16				124	0.139 उपरोक्तानुसार
17				125	0.152 उपरोक्तानुसार
18				136	0.021 उपरोक्तानुसार
19				141	0.025 उपरोक्तानुसार
20				147	0.582 उपरोक्तानुसार
21				148	0.493 उपरोक्तानुसार
22				149	0.021 उपरोक्तानुसार
23				152	0.017 उपरोक्तानुसार
24				188	0.487 उपरोक्तानुसार
25				201	0.029 उपरोक्तानुसार
26				203	0.013 उपरोक्तानुसार
27				208	0.253 उपरोक्तानुसार
28				212	0.559 उपरोक्तानुसार
29				216	0.200 उपरोक्तानुसार
30				210	0.607 उपरोक्तानुसार
31				241	0.126 उपरोक्तानुसार
32				242	0.139 उपरोक्तानुसार
33				248	0.058 उपरोक्तानुसार
34				251	0.025 उपरोक्तानुसार
35				254	0.177 उपरोक्तानुसार



 (ए० डी० सिविली)
 अतिरिक्त
 जिला अधिकारी
 विकास प्राधिकरण

जल संसाधन विभाग, जिला प्रशासन, जिला मुख्यालय


 जिला अधिकारी

10





न जिला लखनऊ का क्षेत्रफल 5.478 हेक्टेयर है तथा जिलाधिकारी सर्किल रेट लिस्ट के अनुसार अर्द्धगैररिज क्षेत्र के अन्ति विशिष्ट ग्राम के अन्तर्गत है जिसकी कृषि भूमि की दर रु0-85,00,000/- प्रति हेक्टेयर के अनुसार मूल्यांकन रु0-3,56,13,500/- होता है। इस प्रकार कुल मूल्यांकन रु0-33,38,80,000/- होता है। चूंकि इस विलेख में नजराने की धनराशि रु0 26,02,37,002/- (छब्बीस करोड़ दो लाख सैंतीस हजार दो रूपये) व 1 वर्ष का लीज रेंट रु0-5,13,041/- (पांच लाख तीस हजार इकतालीस रूपये) सहित कुल धनराशि रु0-26,07,50,043/- अदा की गयी है। अतः सर्वोच्च मूल्यांकन रु0-33,38,80,000/- पर नियमानुसार 7 प्रतिशत की दर से रु0-2,33,71,600/- का स्टाम्प शुल्क देय होता है फॉल्लोइंग रु0-2,33,75,000/- का स्टाम्प शुल्क पट्टेदार द्वारा ई-स्टाम्प सर्टिफिकेट नम्बर IN-UP00109004727519L के द्वारा अदा कर लिया गया है।

इस पट्टा विलेख के साक्ष्य में पट्टादाता की ओर से एवं उनके द्वारा शासनादेश संख्या-1180(1)/8 3-12-122एल0र0/09 दिनांक 01.08.2012 के माध्यम से अश्विनी श्री अष्टमुजा तिवारी, सचिव लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ तथा पट्टेदार की ओर से अश्विनी श्री सुशील कुमार भक्सेना वहीरिथी अधिकृत इलाहाबादी वास्तु गैरर्स असल प्रापर्टीज इन्फ्रास्ट्रक्चर लिड ने नीचे उन दोनों के हस्ताक्षर करा दिये हैं जो उनके हस्ताक्षर के नीचे की गयी हैं।


साक्षीगण :

1. ह0 

नाम... समरेन्द्र प्रताप सिंह

पिता का नाम... श्री-सन्त राम प्रताप सिंह

पता 13, राना प्रताप मार्ग, हजरतगंज
लखनऊ


(सचिव तिवारी)
पट्टादाता की ओर से 50
एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण
की ओर से अधिकृत 87
02/11


2. ड0 


नाम... Biswanda Pratap Singh

पिता का नाम... Late Sri G. P. Singh

पता 13, Rana Pratap Marg
Ducknow

Sanjay Pratap Singh & Associates, Jaipur
Sanjay
पट्टेदार की ओर से 50
एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण
की ओर से अधिकृत 87





श्री १००० मीटर
 श्री १००० मीटर
 श्री १००० मीटर
 श्री १००० मीटर

श्री १००० मीटर
 श्री १००० मीटर
 श्री १००० मीटर

श्री १००० मीटर

श्री १००० मीटर
 श्री १००० मीटर







Scale

1 cm	=	100 m
1 inch	=	2500 ft




ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಪಟ್ಟಣ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಾ. ಸಂ.	ಪ್ರಾ. ವಿ.	ಪ್ರಾ. ವಿಸ್ತ.	ಪ್ರಾ. ವಿಸ್ತ.	ಪ್ರಾ. ವಿಸ್ತ.
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ



[Handwritten signature]
[Illegible text]

Engineering & Infrastructure
Engineering
[Illegible text]


पददा गृहीता


Registration No. : 14746

Year : 2012


Book No. : 1

0201 मैडिकल प्रो. ए. डी. इन्फार्म, लि. डा. सुशील कुमार लक्ठोना
शि. प्रो. ल. लक्ठोना
17 राणा प. प्र. मार्ग लखनऊ
गोवर्धन






 ಶ್ರೀಮತಿ ಸರ್ಕಾರ
 ಶ್ರೀಮತಿ ಸರ್ಕಾರ

No. 4544/2005/2

 Approved Signature

पहला दाता

Registration No. : 14745

Year : 2013



Book No. : 1

0101 लड नि० प्र० द्वारा नगर तहसीलदार जितेन्द्र कटियार

आण्ड एतः नगरीय

लड नि० प्र० अन्तर्गत

नोकरी






ಅಧಿಕಾರಿ	ಅಧಿಕಾರಿ	ಅಧಿಕಾರಿ	ಅಧಿಕಾರಿ
ಅಧಿಕಾರಿ	ಅಧಿಕಾರಿ	ಅಧಿಕಾರಿ	ಅಧಿಕಾರಿ
ಅಧಿಕಾರಿ	ಅಧಿಕಾರಿ	ಅಧಿಕಾರಿ	ಅಧಿಕಾರಿ
ಅಧಿಕಾರಿ	ಅಧಿಕಾರಿ	ಅಧಿಕಾರಿ	ಅಧಿಕಾರಿ




 ಸಹಾಯಕ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
 ಸರ್ಕಾರ
 ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇಲಾಖೆ



प्राप्त दिनांक 31/07/2013 को
वही सं 1 विषय सं 16077
पृष्ठ सं 67 से 112 पर क्रमांक 14746

अभिज्ञान दिनांक पत्र ।

निर्देशावली अंश-कार्य के अन्तर्गत

डी०सी० सिंह
उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ
31/7/2013

